प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 30.05.2025

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल के नेतृत्व में उ0नि0 लक्ष्मी नारायण द्विवेदी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 845/2024 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),316(2),131,352,61(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गुलाम अशरफ को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी से एयरटेल कम्पनी का टावर लगवाने हेतु कुल 12,00,000/- रूपये (जिसमें 7,00,000/- रूपये जरिये यू0पी0आई0 तथा 5,00,000/- रूपये नकद) ले लिया गया, जब वादी द्वारा पैसा वापस मांगा गया तो अभियुक्त द्वारा गाली गुफ्ता देते हुए मारा पीटा गया । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

गुलाम अशरफ पुत्र शमशुद्दीन निवासी जफर कालोनी बहरामपुर पिपराखुर्द थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0सं0 845/2024 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),316(2),131,352, 61(2) बीएनएस थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
ii. मु0अ0सं0 244/2024 धारा 406,420,467,468,471,506 भादवि थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर।
iii. मु0अ0सं0 166/2024 धारा 406,419,420,467,468,471 भादवि थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी की टीम -

1. प्र0नि0 अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 लक्ष्मी नारायण द्विवेदी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. का0 उपेन्द्र गौड़ थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. का0 धीरेन्द्र यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
5. का0 मनोज यादव प्रथम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर